भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 101

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी

***101. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:**

श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल करने वाले पेशेवरों की प्रति व्यक्ति संख्या सबसे कम संख्या वाले देशों में एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समुचित समाधान करने और मानसिक बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को प्रशिक्षित करने जैसे कदम उठाने की योजना है; और

(ग) देश में सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में सरकार के मानसिक स्वास्थ्य पर वर्तमान खर्च का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

09 फरवरी, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 101 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जून, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत है। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% उपलब्धता और 5.65 लाख आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक अनुपात 1:1000 से बेहतर है। इसके अलावा, देश में 34.33 लाख पंजीकृत नर्सिंग कार्मिक और 13 लाख संबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवर हैं।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या वर्ष 2014 से पहले की 387 के मुकाबले 82% बढ़कर अब 706 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों की संख्या वर्ष 2014 से पहले की 51,348 की तुलना में 112% बढ़कर अब 1,08,940 हो गई है। पीजी सीटें वर्ष 2014 से पहले 31,185 थी, जो 127% बढ़कर अब 70,674 हो गई हैं।

देश में मनोचिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, एनएमसी के पीजीएमईबी ने दिनांक 15.01.2024 को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं- 2023 (पीजीएमएसआर-2023) जारी की हैं। एमडी (मनश्चिकित्सा) में पाठ्यक्रम शुरू करने/सीटें बढ़ाने के लिए, पीजीएमएसआर-2023 में प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिए 20% की वृद्धि के साथ अधिकतम 2 पीजी छात्रों के वार्षिक प्रवेश के लिए ओपीडी की संख्या कम करके प्रतिदिन 30 की गई है। इसी तरह, किसी मेडिकल कॉलेज में एमडी (मनश्चिकित्सा) पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति इकाई बिस्तरों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या 2 सीटों के लिए 8 बिस्तर, 3 सीटों के लिए 12 बिस्तर और 5 सीटों के लिए 20 बिस्तर तय की गई है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य स्पेशियलिटी में पीजी विभागों में छात्रों की प्रवेश संख्या बढ़ाने तथा विशिष्ट स्तर पर उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य स्पेशियलिटी में 47 पीजी विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है। 22 एम्स में भी मनश्चिकित्सा विभागों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 में दिए गए उपायों के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के सुविधा केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के भाग के रूप में, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को देश के 738 जिलों में कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता दी जाती है। डीएमएचपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला मानिसक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम में एक मनश्चिकित्सक, एक क्लिनिकल

मनोवैज्ञानिक, एक मनश्चिकित्सा सामाजिक कर्मी, एक मनश्चिकित्सा नर्स, एक सामुदायिक नर्स, एक निगरानी और मूल्यांकन अधिकारी और रोगी पंजीकरण सहायक तथा एक वार्ड सहायक स्टाफ के रूप में शामिल हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन कार्यान्वित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत डीएमएचपी की विभिन्न इकाईयों में जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है। डीएमएचपी के घटक कार्यों में से एक है विशेषज्ञ और गैर-विशेषज्ञ संवर्गों जैसे कि चिकित्सा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कर्मियों और नर्सों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

सरकार सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के विभिन्न श्रेणियों के चिकित्सा और परा-चिकित्सा पेशेवरों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करके देश में अल्पसेवित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता भी बढ़ा रही है। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों नामत: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची में वर्ष 2018 से स्थापित डिजिटल एकैडेमिक्स के माध्यम से दिया जा रहा है। डिजिटल अकादमी में प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	संस्थान	प्रशिक्षित पेशेवरों की संख्या
1.	निम्हांस, बेंगलुरू	22374
2.	एलजीबीआरआईएमएच, तेजपुर	561
3.	सीआईपी, रांची	237

मानसिक रुग्णताओं के बारे में जनमानस में जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) क्रियाकलाप एनएमएचपी का अभिन्न भाग हैं। जिला स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के साथ समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों पर आईईसी और जागरूकता पैदा करने वाले कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोग फ्लैक्सीपूल के अंतर्गत डीएमएचपी के तहत प्रत्येक जिले को पर्याप्त निधियां दी जाती हैं। डीएमएचपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विभिन्न आईईसी क्रियाकलाप किए जाते हैं जैसे कि स्थानीय अखबारों और रेडियो, नुक्कड़-नाटकों, भित्ति चित्रों आदि के माध्यम से जागरूकता संदेश देना।

(ग): वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी), राष्ट्रीय सुदूर-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी) (10.10.2022 को शुरू किया गया), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरू, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची के लिए आवंटित बजट 1070.72 करोड़ रु. है।

*****